

an>

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/members.

HON. SPEAKER: The House will take up Papers to be laid on the Table.

वरतृ मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पट्ट पर रखता हूँ :-

यार्षीय जूट बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की

(1) (एक) एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखों।

(दो) यार्षीय जूट बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पट्ट पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4719/16/16]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) बड़सी जूट एवं सोटर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बड़सी जूट एवं सोटर्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 4720/16/16]

(ख) (एक) नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कार्पोरेशन, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कार्पोरेशन, कोलकाता का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पट्ट पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4721/16/16]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI PIYUSH GOYAL): Madam, I rise to lay on the Table -

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 182 of the Electricity Act, 2003:-

(i) The Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa & Union Territories (Constitution and Manner of Application of Fund, Form and Time for Preparation of Budget) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.315(E) in Gazette of India dated 17th March, 2016.

(ii) The Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa & Union Territories (Form of Annual Statement of Accounts and Records) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.316(E) in Gazette of India dated 17th March, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 4722/16/16]

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 179 of the Electricity Act, 2003:-

(i) The Central Electricity Regulatory Commission (Recruit-ment, Control and Service Conditions of Staff) (Third Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. 2/2(2)/2011-Estt./CERC in Gazette of India dated 28th March, 2016.

(ii) The Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation (Fourth Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. L-1/12/2010/CERC in Gazette of India dated 30th March, 2016.

(iii) The Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Tariff determination from Renewable Energy Sources) (Fifth Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. L-1/94/CERC/2011 in Gazette of India dated 31st March, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 4723/16/16]

(3) A copy of the Bureau of Energy Efficiency, Energy Conservation Fund (Form and Time for Preparation of Budget) Rules, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 980(E) in Gazette of India dated 17th December, 2015 under sub-section (1) of Section 59 of the Energy Conservation Act, 2001.

[Placed in Library, See No. LT 4724/16/16]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CULTURE, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TOURISM AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (DR. MAHESH SHARMA): Madam, I rise to lay on the Table a copy of the Rajiv Gandhi National Aviation University First Statutes Rules, 2016 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O.683(E) in Gazette of India dated 7th March, 2016 under sub-section (2) of Section 45 of the Rajiv Gandhi National Aviation University Act, 2013.

[Placed in Library, See No. LT 4725/16/16]

कौशल विकास और उदामशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): अध्यक्ष महोदया, मैं श्री पी. राधाकृष्णन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पत्ता पर रखता हूँ:-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (छिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) का.आ. 356(अ) और का.आ. 357(अ) जो 5 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 न (बहराइच-रुपाइडीछा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रवालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (दो) का.आ. 413(अ) जो 6 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 (नरा एनएस 30 (छमतारी-जगदलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रवालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तीन) का.आ. 626(अ) जो 27 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (नागौर-जोधपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रवालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चार) का.आ. 796(अ) और का.आ. 797(अ) जो 19 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 (इलाहाबाद से उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रवालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (पाँच) का.आ. 1225(अ) और का.आ. 1226(अ) जो 7 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 216 (नरा एनएस 153) (रायगढ़, सारणगढ़, सरायपती खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रवालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (छठ) का.आ. 1404(अ) से का.आ. 1408 (अ) जो 26 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 ड. (सिरी-सिंगरौली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रवालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (आठ) का.आ. 1520(अ) जो 10 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 78 (नरा एनएस 43) (पथलगांव से सीजी/जेहरा सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रवालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (आठ) का.आ. 1521(अ) से का.आ. 1523 (अ) जो 10 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 (बिलासपुर-उरदावला खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रवालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (नौ) का.आ. 1554 (अ) और का.आ. 1555 (अ) जो 11 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 365 (मंगलवरीपेट से मल्लमपल्ली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रवालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।

|           |   |
|-----------|---|
| (रय)      | का.आ. 1625(अ) और का.आ. 1626 (अ) जो 17 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो छतीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 क (नया एनएट 30) (एमपी बोर्डर चिपली से सिमगा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रवालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं। |
| (न्याय)   | का.आ. 1624(अ) जो 17 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (गोरखपुर बाईपास) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रवालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।  |
| (बारछ)    | का.आ. 1621(अ) से का.आ. 1623 (अ) जो 17 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 222 (कल्याण-आंध्र प्रदेश सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रवालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।               |
| (तेझ)     | का.आ. 1647(अ) जो 22 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छतीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 (धमतारी-जगदलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रवालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।  |
| (चौड़)    | का.आ. 1696(अ) और का.आ. 1697 (अ) जो 25 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 64 (पटियाला-भटिंडा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रवालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।                               |
| (पंद्रह)  | का.आ. 1681(अ) और का.आ. 1682 (अ) जो 24 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 214 (नया एनएट संख्या 216) (पश्चिम गोदावरी) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रवालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।      |
| (सोलह)    | का.आ. 1752(अ) जो 30 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2015 की अधिसूतना संख्या का.आ. 780(अ) में कठिपरा संशोधन किए गए हैं।  |
| (अत्त्रह) | का.आ. 1753(अ) जो 30 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 214 (नया एन.एट. 216) (पश्चिम गोदावरी) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रवालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।                              |
| (अलगरह)   | का.आ. 1825(अ) जो 06 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 214 (नया एन.एट. 216) (पश्चिम गोदावरी) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रवालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।                            |
| (उन्नीस)  | का.आ. 1926(अ) जो 16 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 (चित्तुर्न-शिंगोगा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रवालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।   |
| (बीस)     | का.आ. 2011(अ) जो 22 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 7 (इतालावाद से उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रवालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।             |
| (इक्कीस)  | का.आ. 2069(अ) जो 29 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 365 (नकरेकल-थनमत्तेरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रवालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।  |
| (बाईस)    | का.आ. 2033(अ) जो 24 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 656 (नकरेकल से नागार्जुन सागर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रवालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।                                  |

- (तैर्य) का.आ. 2108(अ) जो 03 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 221 (विजयवाड़ा-भद्राचलम खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रवालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौबीस) का.आ. 2103(अ) से का.आ. 2106 (अ) जो 03 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो छतीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 क (नया एन.एच. सं. 30) (एमपी रीमा चित्पी से शिमगा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रवालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पचास) का.आ. 2109(अ) से का.आ. 2110 (अ) जो 03 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 ड. (नया एन.एच. 24) (गोरखपुर से सोनौली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रवालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छब्बीस) का.आ. 2146(अ) जो 07 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो शजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 (अजमेर-गांवौर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रवालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सताईस) का.आ. 2143(अ) जो 07 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 365 (मंगलवरीपेट से मल्लगपल्ली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रवालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अष्टाईस) का.आ. 2190(अ) से का.आ. 2191 (अ) जो 11 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 214 (नया एन.एच. 216) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रवालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उनतीस) का.आ. 2234(अ) जो 14 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो शजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (बद्याना-गोमती खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रवालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तीस) का.आ. 2268(अ) जो 20 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 565 (पेंचलाकोना से इरपेडू खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रवालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इकतीस) का.आ. 2267(अ) जो 20 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (जबलपुर-भोपाल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रवालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बत्तीस) का.आ. 2332(अ) जो 25 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छतीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43(धमतारी-जगदलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रवालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तीनतीस) का.आ. 2464(अ) जो 10 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो शजस्थान प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (नागौर-जोधपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रवालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौनतीस) का.आ. 2482(अ) जो 14 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 214 (नया एनएच 216) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रवालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पैंतीस) का.आ. 2481अ) जो 14 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28ग (नया एनएच 927) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रवालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

(छत्तीस) का.आ. 2477(अ) जो 14 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 जुलाई, 2013 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2307(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(यैसीस) का.आ. 2517(अ) जो 17 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (नागौर-जोधपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रवालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

(अड्डीस) का.आ. 2514(अ) जो 17 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (बयावर से बघाना खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रवालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

(जनतालीस) का.आ. 2592(अ) जो 22 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 149 (पल्लाड्या से पिटी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रवालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

(वालीस) का.आ. 2480(अ) जो 14 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (अटम्कुर से नेल्लोर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रवालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

(इकतालीस) का.आ. 2142(अ) जो 07 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 565 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रवालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

(ब्यालीस) का.आ. 1627(अ) जो 07 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 111 (नया एनए. 130 (बिलासपुर-अंविकापुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रवालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पट्ट पर रखने में हुए वित्तम् के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4726/16/16]

(3) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उप-धारा (3) के अंतर्गत वाणिज्य पोत परिवहन ( सागरगामियों के बायोमेट्रिक अभिज्ञान दस्तावेज ) नियम, 2016 जो 11 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. (415) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4727/16/16]

(4) (एक) नेशनल छाईवेज अर्थॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखों।

(दो) नेशनल छाईवेज अर्थॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पट्ट पर रखने में हुए वित्तम् के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4728/16/16]